

न्यूज़ डुडे

पारे पर मिनामाता अभिसमय (Minamata Convention on Mercury) के पक्षकारों का चौथा सम्मेलन (COP4) इंडोनेशिया के बाली में आयोजित हो रहा है

○ पारे पर मिनामाता अभिसमय को जेनेवा में वर्ष 2013 में अपनाया गया था। यह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पारे के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के लिए विश्व की पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है।

➤ इस अभिसमय का नाम उस जापानी शहर (मिनामाता) के नाम पर रखा गया है, जो 1950 के दशक में मिनामाता रोग का केंद्र बन गया था। मिनामाता रोग पारे की गंभीर विषाक्तता के कारण होने वाली एक तंत्रिका संबंधी बीमारी है।

➤ भारत ने वर्ष 2014 में इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए थे और वर्ष 2018 में इसकी अभिपुष्टि (ratify) की थी।

➤ यह अभिसमय वर्ष 2017 में लागू हुआ था।

○ बाली में आयोजित सम्मेलन में, इंडोनेशिया के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र ने भी एक वैश्विक घोषणा-पत्र प्रस्तुत किया है। इसमें मिनामाता अभिसमय के पक्षकारों से वैश्विक स्तर पर हो रहे पारे के गैर-कानूनी व्यापार से निपटने का आह्वान किया गया है।

○ हालांकि, यह घोषणा-पत्र गैर-बाध्यकारी है। इसमें पक्षकारों से आह्वान किया गया है वे:

➤ पारे के व्यापार की निगरानी और प्रबंधन के लिए व्यावहारिक उपकरण का विकास करें; अधिसूचना जारी करें; तथा सूचनाओं को साझा करने की एक प्रणाली भी विकसित करें।

➤ पारे के गैर-कानूनी व्यापार से निपटने से संबंधित अनुभवों और तरीकों का आपस में आदान-प्रदान करें।

➤ दस्तकारी और छोटे पैमाने पर सोने के खनन में पारे के उपयोग को कम करें।

○ कुछ अन्य अभिसमय या कन्वेंशन:

➤ रॉटरडैम कन्वेंशन: यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ प्रकार के खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के उपयोग से संबंधित है।

➤ बेसल कन्वेंशन: यह खतरनाक अपशिष्टों की सीमा-पार आवाजाही और उनके निपटान के नियंत्रण से संबंधित है।

➤ वियना कन्वेंशन: यह ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है।

➤ स्टॉकहोम कन्वेंशन: यह स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों (Persistent Organic Pollutants: POPs) से संबंधित है।



○ विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पारे को उन शीर्ष दस रसायनों या रसायनों के समूहों में शामिल किया है, जो लोक स्वास्थ्य के लिए बड़ी चिंता का कारण हैं।

➤ यह तंत्रिका तंत्र, पाचन और प्रतिरक्षा प्रणाली, फेफड़े, गुर्दे, त्वचा एवं आंखों पर विषाक्त प्रभाव डाल सकता है।

➤ विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत पारे का सबसे अधिक उपयोग करने वाला दूसरा देश है।

सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि राज्य विधान-मंडलों के पास अन्य राज्यों द्वारा आयोजित लॉटरी पर कर लगाने का अधिकार है

○ न्यायालय का यह निर्णय कर्नाटक और केरल सरकारों द्वारा दायर अपीलों पर आया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक और केरल उच्च न्यायालयों के उन आदेशों को भी रद्द कर दिया, जिनमें कहा गया था कि इन राज्यों के पास लॉटरी पर कर लगाने के लिए विधायी शक्ति की कमी है।

○ इस मामले में शामिल मुद्दे:

➤ क्या "सट्टेबाजी और जुए" (betting and gambling) में 'लॉटरी' शामिल है? क्या राज्यों के पास राज्य सूची की प्रविष्टि 62 (Entry 62) के अनुसार, उन पर कर लगाने की शक्ति है?

➤ क्या संघ सूची की प्रविष्टि 40 अन्य राज्यों द्वारा आयोजित लॉटरियों पर कर लगाने के लिए राज्यों की शक्ति को प्रतिबंधित करती है?

○ इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा?

➤ लॉटरी "सट्टेबाजी और जुए" के दायरे में आती है। यह सातवीं अनुसूची की सूची-II की प्रविष्टि 34 में राज्य सूची के एक विषय के रूप में शामिल है।

➤ सूची-I (यानी संघ सूची) की प्रविष्टि 40 के तहत भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा आयोजित की गई लॉटरी को छोड़कर, अन्य लॉटरियां राज्य सूची के विषय में आती हैं।

➤ सूची-I की प्रविष्टि 40, अन्य राज्यों की लॉटरियों पर कर लगाने की राज्यों की शक्ति को समाप्त नहीं करती है।

■ न्यायालय ने माना कि जब दो प्रविष्टियों के बीच सीधे तौर पर ओवरलैपिंग की समस्या उत्पन्न हो जाये, तब एक कानून एवं प्रविष्टि की वास्तविक प्रकृति का पता लगाने के लिए "तत्त्व और सार का सिद्धांत" (doctrine of pith and substance) लागू किया जाना चाहिए। इससे पता लगाया जा सकता है कि कौन-सा विषय किस सूची में आता है।

○ वित्त अधिनियम, 1994 में "सट्टेबाजी या जुए" को परिभाषित किया गया है।

➤ इसके अनुसार, सट्टेबाजी या जुआ से आशय किसी खेल या प्रतियोगिता के परिणाम पर पैसे या किसी मूल्यवान चीज का दांव लगाने से है, जहाँ पैसे डूबने का जोखिम और साथ ही बहुत अधिक पैसा कमाने का लोभ शामिल होता है। ऐसे खेल या प्रतियोगिता के परिणाम संयोग से या दुर्घटनावश निर्धारित होते हैं, या कुछ होने या न होने की संभावना पर आधारित होते हैं।

○ लॉटरी को सातवीं अनुसूची की सूची-I की प्रविष्टि 40 के तहत सूचीबद्ध किया गया है। लॉटरियां लॉटरी (रेगुलेशन) एक्ट द्वारा शासित हैं।

भारत और ओमान के विदेश मंत्रियों के बीच बैठक आयोजित हुई

○ भारत और ओमान निवेश पर द्विपक्षीय प्रोटोकॉल और दोहरे कराधान से बचने के लिए जल्द से जल्द वार्ता को अंतिम रूप देने पर सहमत हुए।

➤ दोनों देश अक्षय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन आदि जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमत हुए हैं।

○ भारत-ओमान संबंध:

➤ राजनीतिक संबंध: ओमान, खाड़ी क्षेत्र में भारत का एक रणनीतिक साझेदार है। साथ ही, यह खाड़ी सहयोग परिषद (GCC), अरब लीग और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA) जैसे मंचों पर एक महत्वपूर्ण वार्ताकार (interlocutor) भी है।

■ ओमान के साथ राजनयिक संबंध वर्ष 1955 में स्थापित किए गए थे। वर्ष 2008 में इन संबंधों को अपग्रेड कर "रणनीतिक साझेदारी" में बदल दिया गया था।

➤ रक्षा: यह खाड़ी क्षेत्र का एकमात्र देश है, जिसके साथ भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों सेनाएं नियमित रूप से द्विपक्षीय अभ्यास करती हैं।

■ ओमान, भारतीय नौसेना को अरब सागर में समुद्री डकैती रोधी अभियानों के लिए महत्वपूर्ण परिचालन सहायता (operational support) भी प्रदान करता है।

➤ सामरिक: भारत ने सैन्य उपयोग और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट के लिए ओमान के दुक्म बंदरगाह तक पहुंच प्राप्त कर ली है। यह इस क्षेत्र में चीन के प्रभाव से निपटने की भारत की रणनीति का एक हिस्सा है।

➤ आर्थिक और वाणिज्यिक: वर्ष 2019 में ओमान के लिए, भारत उसके आयात हेतु तीसरा सबसे बड़ा स्रोत था तथा ओमान के कच्चे तेल के निर्यात के लिए तीसरा सबसे बड़ा बाजार था।



भारत ने 400 अरब डॉलर के वस्तु निर्यात के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त किया

○ ऐसा पहली बार हुआ है, जब भारत ने वस्तु निर्यात के लिए निर्धारित लक्ष्य को समय से पहले हासिल कर लिया है। आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

➤ निर्यात वृद्धि में पेट्रोलियम उत्पादों (147.6%), इंजीनियरिंग वस्तुओं (49.7%), इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं (42.8%) तथा रत्न और आभूषण (57.3%) जैसे क्षेत्रों की मुख्य भूमिका रही है।

○ निर्यात वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक:

➤ मांग पक्ष:

■ कोविड-19 महामारी की बड़ी लहरों के दौरान जिन मांगों को पूरा नहीं किया जा सका था, उन्हें इस बार पूरा किया गया।

■ महामारी के आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए विकसित अर्थव्यवस्थाओं द्वारा विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनायी गयी है।

➤ आपूर्ति पक्ष:

■ विदेश व्यापार नीति, 2015-20 को वर्ष 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया।

■ नए और संभावित निर्यातकों तक पहुंचने के लिए निर्यातबंध योजना शुरू की गई।

■ निर्यातकों को सहायता प्रदान करने के लिए कुछ योजनाएं शुरू की गई हैं, जैसे— ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम (TIES) और बाजार पहुंच पहल (Market Access Initiatives: MAI) योजना।

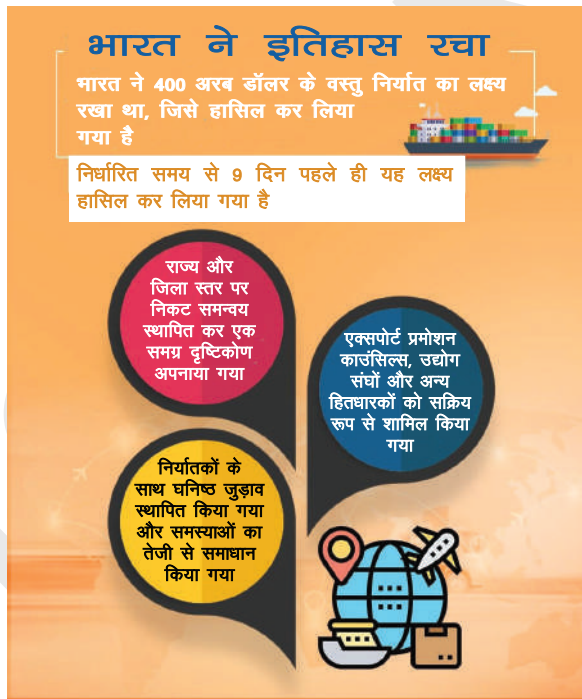
■ एक व्यापक "कृषि निर्यात नीति" की घोषणा की गई है।

■ निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट योजना (RoDTEP) शुरू की गई है।

■ राज्य तथा केंद्रीय शुल्कों एवं करों में छूट (RoSCTL) योजना आरंभ की गई है।

■ भारत के निर्यात, पर्यटन आदि को प्रोत्साहन देने के लिए विदेशों में स्थित भारतीय मिशन की भूमिका में वृद्धि की गयी है।

■ सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने और उनमें विविधता लाने के लिए 12 चैंपियन सेवा क्षेत्रों की पहचान की गई है।



नासा ने आर्टेमिस (ARTEMIS) मिशन के तहत एस्ट्रोनाट मून लैंडर प्लान पर अपडेट प्रदान किया है

○ नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा/NASA) ने अपने आर्टेमिस-I मून मिशन की टेस्टिंग के लिए कैंनेडी स्पेस सेंटर में एक लॉन्चपैड तैयार किया है। इसकी टेस्टिंग संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा में कैंनेडी स्पेस सेंटर पर की जाएगी।

○ 'आर्टेमिस' का पूरा नाम है— "सूर्य के साथ चंद्रमा की परस्पर क्रिया का त्वरण, पुनः संयोजन, विक्षोभ और विद्युतगतिकी" (Acceleration, Reconnection, Turbulence and Electrodynamics of Moon's Interaction with the Sun)।

○ इस मिशन को तीन भागों में बांटा गया है:

➤ आर्टेमिस-I: इसके तहत स्पेस लॉन्च सिस्टम (SLS) रॉकेट और ओरियन अंतरिक्ष यान का परीक्षण करने के लिए चालक दल रहित एक उड़ान शामिल है।

➤ आर्टेमिस-II: इसमें चालक दल वाले उड़ान का पहला परीक्षण किया जाएगा। यह उड़ान परीक्षण वर्ष 2023 में निर्धारित है।

➤ आर्टेमिस-III: यह अंतरिक्ष यात्रियों को वर्ष 2024 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारेगा।

○ इस कार्यक्रम के माध्यम से नासा का लक्ष्य वर्ष 2024 तक मानवों को चंद्रमा के धरातल पर उतारना है। इसका लक्ष्य वैज्ञानिक खोज को बढ़ावा देना, आर्थिक लाभों में योगदान देना और खोजकर्ताओं की एक नई पीढ़ी तैयार करना है।

➤ इसके अन्य उद्देश्यों में नई प्रौद्योगिकियों, क्षमताओं और व्यावसायिक दृष्टिकोणों को प्रदर्शित करना भी शामिल हैं। ये सब भविष्य में मंगल ग्रह पर अन्वेषण (exploration) के लिए आवश्यक होंगे।

○ आर्टेमिस मिशन को चंद्रमा पर पहुँचाने में कुछ विशेष सहायक तत्व भी शामिल हैं, जैसे—

➤ एक्सप्लोरेशन ग्राउंड सिस्टम्स (ये सतह पर मौजूद वे संरचनाएं हैं, जो लॉन्च को संभव बनाने के लिए आवश्यक हैं),

➤ स्पेस लांच सिस्टम (SLS),

➤ ओरियन (चंद्र मिशनों के लिए अंतरिक्ष यान),

➤ गेटवे (चंद्रमा के चारों ओर लूनर आउटपोस्ट),

➤ लूनर लैंडर्स (आधुनिक मानव लैंडिंग सिस्टम्स), और

➤ आर्टेमिस पीढ़ी के स्पेस सूट

○ चंद्रमा पर भेजे गए अन्य मिशन:

➤ सोवियत संघ: मानव रहित लूना 1 और 2 मिशन (यह चंद्रमा पर जाने वाला पहला रोवर था),

➤ संयुक्त राज्य अमेरिका: अपोलो 11 मिशन,

➤ जापान: सेलेन (SELENE),

➤ चीन: चांग' ए-4 लूनर प्रोब,

➤ भारत: चंद्रयान,

➤ इज़रायल: बेरेशीट यान आदि।

एक संसदीय समिति के अनुसार, इस वर्ष एक चौथाई से भी कम लक्षित गांवों को ठोस व तरल अपशिष्ट के प्रबंधन या निस्तारण हेतु बुनियादी ढांचा प्राप्त होगा

○ संसदीय समिति की रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों पर एक नज़र:

➤ **स्वच्छ भारत मिशन के तहत लक्ष्यों की निराशाजनक उपलब्धि:** इस रिपोर्ट के अनुसार, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) के लिए बुनियादी ढांचे का कार्यान्वयन, देश में पिछड़ गया है। उल्लेखनीय है कि इसे स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के तहत कार्यान्वित किया जाना था।

■ अब तक केवल 22% लक्षित गाँवों को ही ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा 12% लक्षित गाँवों को तरल अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत कवर किया जा सका है।

○ **जल जीवन मिशन के तहत आवंटित निधि के कम उपयोग के कारण** समिति ने सरकार की आलोचना की है। इस मिशन के लिए कुल 50,011 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। इसके विपरीत अब तक किया गया वास्तविक व्यय केवल 28,238 करोड़ रुपये है।

➤ **जल जीवन मिशन का उद्देश्य** वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में नल द्वारा पेयजल की आपूर्ति करना है।

○ **ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM)** से आशय वैज्ञानिक तरीके से अपशिष्ट पदार्थों के संग्रह, परिवहन, प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण, उपचार और निपटान से है।

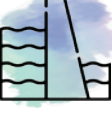
➤ **SLWM, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के प्रमुख घटकों में से एक है।** "स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण" को ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई, सैनिटेशन और जीवन की सामान्य गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।

➤ **ग्राम पंचायतों के पदाधिकारियों को संबंधित राज्य सरकारों के समर्थन से SLWM व्यवस्था के डिजाइन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार बनाया गया है।**



अन्य सुर्खियाँ

वैवाहिक बलात्कार (Marital Rape)	○ कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में दिए गए अपने एक निर्णय में स्पष्ट किया है कि बलात्कार पति करे या कोई और, बलात्कार ही है। ○ वैवाहिक बलात्कार के बारे में: ➤ वर्तमान समय में भारत में इस कृत्य के लिए दंड का प्रावधान नहीं है। ➤ भारतीय दंड संहिता की धारा 375, बलात्कार के अपराध को परिभाषित करती है। हालांकि, इस धारा में एक अपवाद खंड है, जो कहता है कि, यदि पत्नी की उम्र 15 साल से कम नहीं है तो पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ उसकी सहमति के बिना शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार नहीं है। इस प्रकार यह ऐसे कृत्यों को अभियोजन (prosecution) या दंड से सुरक्षा प्रदान करती है। ○ महिलाओं के लिए उपलब्ध कानूनी प्रावधान: ➤ धारा 498A महिलाओं के साथ क्रूरता से संबंधित है। ➤ घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 जबरन यौन गतिविधि को दंडनीय मानता है।
डेलाइट सेविंग टाइम (Daylight Saving Time: DST)	○ यू.एस. सीनेट ने सनशाइन प्रोटेक्शन एक्ट, 2021 नामक बिल को मंजूरी दे दी है। ○ इस एक्ट का उद्देश्य सर्दियों के आगमन और समाप्ति के समय घड़ियों को आगे और पीछे करने के छमाही अभ्यास को समाप्त कर डेलाइट सेविंग टाइम (DST) को स्थायी बनाना है। ○ DST के बारे में: ➤ DST, गर्मियों के महीनों के दौरान घड़ियों को मानक समय से एक घंटे आगे ले जाने और सर्दियों की शुरुआत में घड़ियों को पुनः एक घंटे पीछे किये जाने का अभ्यास है। ➤ इसके पीछे सामान्य विचार यह है, कि DST सभी को दिन के प्राकृतिक प्रकाश का बेहतर उपयोग करने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे ऊर्जा की बचत होती है।
राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (National Bank for Financing Infrastructure and Development: NaBFID)	○ केंद्र ने अगले वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा समर्थित NaBFID के माध्यम से बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए ऋण स्वीकृत करने हेतु लगभग 1 ट्रिलियन रुपये का लक्ष्य रखा है। ○ NaBFID के बारे में: ➤ यह बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए प्रमुख विकास वित्तीय संस्थान (Development Financial Institution: DFI) है। ■ DFIs की स्थापना दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने के लिए की जाती है। दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने में थोड़ा-बहुत जोखिम शामिल होता है। इसलिए वाणिज्यिक बैंक और अन्य साधारण वित्तीय संस्थान ऐसे ऋण नहीं देते हैं या इससे बचते हैं। कई बार दीर्घकालिक ऋण की राशि इन बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के ऋण दायरे से बाहर होती है। ➤ यह अगले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में परिचालन शुरू करेगा।
जी-20 (G20)	○ G20 की स्थापना वर्ष 1999 में की गई थी। यह 19 देशों और यूरोपीय संघ का एक अनौपचारिक समूह है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। ○ G20 के सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 80 प्रतिशत, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 75 प्रतिशत और वैश्विक आबादी के 60 प्रतिशत से अधिक हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। ○ G20 का उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करना है। ○ भारत इसका एक सदस्य है। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक, भारत अध्यक्ष के रूप में G-20 का संचालन करेगा। ○ G20 का कोई स्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं है।

 लीग ऑफ अरब स्टेट्स (अरब लीग) [League of Arab States (Arab League)]	○ UNSC की एक बैठक में भारतीय विदेश सचिव ने संयुक्त राष्ट्र और लीग ऑफ अरब स्टेट्स के बीच अधिक नीतिगत समन्वय का आह्वान किया है। ○ लीग ऑफ अरब स्टेट्स या अरब लीग के बारे में: ➤ यह एक अंतर-सरकारी संगठन है। यह स्वतंत्र अफ्रीकी और मध्य-पूर्व के देशों का एक स्वैच्छिक संघ है, जिसके लोग मुख्य रूप से अरबी भाषी हैं। ➤ उद्देश्य: इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच संबंधों को मजबूत करना, उनकी नीतियों के बीच समन्वय स्थापित करना और उनके साझे हितों को प्रोत्साहित करना है। ➤ इसकी स्थापना वर्ष 1945 में की गई थी। ➤ मुख्यालय: इसका मुख्यालय मिस्त्र की राजधानी काहिरा में है।
 अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court: ICC)	○ फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी के माता-पिता ने ICC में तालिबान के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है। ○ ICC वस्तुतः नरसंहार, युद्ध अपराध और मानवता के विरुद्ध अपराधों सहित गंभीर अंतरराष्ट्रीय अपराधों के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए अंतिम न्यायालय है। ➤ ICC, विश्व का पहला स्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है। यह न्यायालय रोम संविधि (Rome Statute) नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संधि द्वारा शासित है। ➤ ICC एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है। ➤ इसका मुख्यालय नीदरलैंड के 'द हेग' में स्थित है। इसके अलावा उन क्षेत्रों में इसके अस्थायी फील्ड ऑफिस होते हैं, जहां किसी प्रकार की जांच की जा रही होती है। ➤ भारत ने ICC के रोम संविधि पर न तो हस्ताक्षर किए हैं, न ही इसकी अभिपुष्टि (ratify) की है।
 मेकेदातु बांध (Mekedatu Dam)	○ हाल ही में, तमिलनाडु सरकार ने कर्नाटक द्वारा बांध निर्माण के कदम के विरुद्ध एक संकल्प (resolution) पारित किया है। ○ मेकेदातु बांध के बारे में: ➤ मेकेदातु नामक इस बांध का निर्माण कर्नाटक सरकार द्वारा कावेरी नदी पर प्रस्तावित है। इसे जलाशय और पेयजल परियोजना के रूप में निर्मित किया जाना है। यह क्षेत्र में जलमृतों (aquifers) को भी रिचार्ज करेगा। ➤ हालांकि, तमिलनाडु इस परियोजना का विरोध कर रहा है क्योंकि यह वर्ष 2007 के कावेरी नदी जल अधिकरण के अंतिम निर्णय और वर्ष 2018 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लंघन करता है। ➤ इसके अलावा, यह बांध ऊपरी रिपेरियन (upper riparian) राज्य से पानी के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित करेगा, जिससे तमिलनाडु के कृषि समुदाय प्रभावित होंगे। ➤ यह परियोजना अब कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के समक्ष है।
 एक्सोप्लेनेट्स या बाह्य ग्रह (Exoplanets)	○ नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी ने इस बात की पुष्टि की है, कि अब हमारे सौर मंडल के बाहर 5,000 ज्ञात ग्रह हैं। ○ वे ग्रह जो अन्य तारों की परिक्रमा करते हैं, एक्सोप्लेनेट्स कहलाते हैं। ➤ एक्सोप्लेनेट को सीधे दूरबीन से देखना बहुत कठिन है। ➤ एक्सोप्लेनेट उन तारों की उज्ज्वल चकावौंध से छिपे हुए होते हैं जिनकी वे परिक्रमा करते हैं। इसलिए, खगोलविद दूर स्थित इन ग्रहों का पता लगाने और उनका अध्ययन करने के लिए अन्य तरीकों का उपयोग करते हैं। ➤ ये ग्रह जिन तारों की परिक्रमा कर रहे होते हैं, उन पर पड़ने वाले प्रभाओं को देखकर खगोलविद ऐसे एक्सोप्लेनेट की खोज करते हैं।
 एबेल पुरस्कार (Abel Prize)	○ वर्ष 2022 के एबेल पुरस्कार के लिए अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पी. सुलिवन को चुना गया है। ○ यह किंग ऑफ नॉर्वे द्वारा एक या एक से अधिक महान गणितज्ञों को दिया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। ➤ इसका नाम 19वीं सदी के नॉर्वेजियन गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबेल के नाम पर रखा गया है। ➤ इसकी स्थापना वर्ष 2002 में उनकी 200वीं जयंती के अवसर पर की गई थी। ➤ इस पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र और 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर की पुरस्कार राशि शामिल है। ➤ पहला एबेल पुरस्कार वर्ष 2003 में प्रदान किया गया था। ➤ एबेल पुरस्कार समाज में गणित के दर्जे को ऊपर उठाने और गणित में युवाओं की रुचि को प्रोत्साहित करने में मदद करता है।

8468022022, 9019066066
www.visionias.in

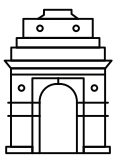


/c/VisionIASdelhi

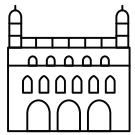
/Vision_IAS

/visionias_upsc

/VisionIAS_UPSC



दिल्ली



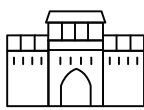
लखनऊ



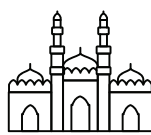
जयपुर



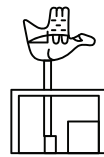
हैदराबाद



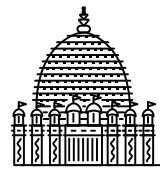
पुणे



अहमदाबाद



चंडीगढ़



गुवाहटी